

Section of BNSS

497(2)

कार्यालय अति. महानिदेशक पुलिस, (अपराध शाखा) राज., जयपुर।

क्रमांक: 22190-261

दिनांक: 07/10/2024

पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर,
पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर,
समस्त महानिरीक्षक रैंज राज.,
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राज.।

विषय:—मालखाना निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में मानक संचालन प्रणाली।

01 जुलाई 2024 से राजस्थान राज्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हो गई है। सम्पत्ति के व्ययन सम्बन्धी प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 36 में धारा 497 से लगाकर 505 तक किये गये हैं।

अपराधिक न्याय प्रशासन में, ऐसी सम्पत्ति जिसका प्रयोग किसी अपराध को करने में साधन के रूप में लिया गया है या ऐसी सम्पत्ति जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, को सामान्यतया पुलिस द्वारा प्रकरण में जब्त किया जाता है एवं माननीय न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप हकदार व्यक्ति के पक्ष में छोड़ा जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। थानों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अनुरूप मालखाना निस्तारण के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी:—

मालखाना का निस्तारण

राज्य सरकार, पुलिस मुख्यालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार मालखाना आर्टिकल्स का निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाएगा:—

(A) जब्त कीमती आभूषण एवं नकदी का निस्तारण—

(i) रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यदि आर्टिकल्स, सोना, चांदी तथा मूल्यवान रत्नों से जड़ित आभूषण आदि परिवादी के घर से चोरी हुए हैं तो इनका पंचनामा तैयार कर एवं फोटोग्राफ लेकर इन्हें धारा 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा ट्रायल में आवश्यकता होने पर पेश करने का बॉण्ड व सिक्योरिटी ली जाकर परिवादी को सुपुर्द किया जाए।

(ii) आर्टिकल्स परिवादी, अभियुक्त या जिस व्यक्ति को सुपुर्द किए जा रहे हैं, उनके द्वारा फोटोग्राफ प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे। न्यायालय कोई अन्य शर्त भी लगा सकता है।

(iii) यदि ऐसे आर्टिकल्स पुलिस कस्टडी में रखे जाने की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी पंचनामा बनाकर बैंक लॉकर में रखेगा। किसी भी अवस्था में इन्हें एक महीने की अवधि से अधिक तक पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा।

(iv) थानाधिकारी द्वारा ऐसे आर्टिकल्स जब्ती के एक सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाएंगे।

(v) यदि अभियुक्त द्वारा आर्टिकल्स को उससे बरामद किए जाने पर आक्षेप लगाया जाता है तो इस प्रकार का पृष्ठांकन फोटोग्राफ पर किया जाएगा।

(vi) करेंसी नोटों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(B) दहेज प्रकरणों के तहत जब्त माल का निस्तारण—

ऐसे प्रकरणों में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर अन्वेषण अधिकारी पीड़िता को जब्तशुदा स्त्रीधन सुपुर्दगीनामे पर लौटाने के लिए न्यायालय से अनुमोदन कराकर शीघ्रातिशीघ्र पीड़िता को दिलाने की समुचित कार्यवाही में सहयोग करें एवं जब तक स्त्रीधन पीड़िता को न्यायालय द्वारा सुपुर्दगीनामे पर नहीं दिया जाता तब तक ऐसे स्त्रीधन की सुरक्षा एवं खुर्द-बुर्द ना होने की व्यवस्था थानाधिकारी अपने स्तर पर करावें ।

(C) एनडीपीएस एक्ट में जब्त स्वापक औषधि व मन प्रभावी पदार्थों का निस्तारण:—

(i) प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति का गठन किया जाएगा :-

1. जिला पुलिस उपायुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक मय जीआरपी— समिति अध्यक्ष
2. अति. पुलिस उपायुक्त जिला/अति. पुलिस अधीक्षक मुख्यालय (संबंधित जिला) सदस्य
3. अपराध सहायक संबंधित जिला — सदस्य ।

उक्त जिला स्तरीय समिति नीचे सारणी में उपदर्शित मात्राओं तक जब्त किए गए मदों के व्ययन के लिए आदेश कर सकेगी :-

क्र.सं.	औषधि का नाम	प्रति खेप मात्रा
1	हेरोइन	5 किलो ग्राम
2	हशिश (चरस)	100 किलोग्राम
3	हशिश तेल	20 किलोग्राम
4	गांजा	1000 किलोग्राम
5	कोकेन	2 किलोग्राम
6	मेंड्रेक्स	3000 किलोग्राम
7	पोस्त तृण	10 मीट्रिक टन तक
8	अन्य स्वापक औषधियां, मनः प्रभावी पदार्थ नियंत्रित पदार्थ अथवा वाहन	20 लाख रुपये के मूल्य तक

परंतु यदि खेप उक्त सारणी में उपदर्शित मात्रा से बड़े या मूल्य से अधिक के हैं तो ऐसी औषधियों के व्ययन हेतु निम्नानुसार रेंज स्तर पर उनसे संबंधित क्षेत्राधिकार के जिलों के मामलों में उच्चस्तरीय औषधि व्ययन समिति का गठन किया जाएगा :-

1. पुलिस आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज मय जीआरपी — अध्यक्ष
2. पुलिस उपायुक्त पुलिस, अधीक्षक संबंधित जिला — सदस्य
3. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं सतर्कता (संबंधित रेंज कार्यालय) — सदस्य

परंतु पदार्थ उपरोक्तानुसार सारणी में उपदर्शित मात्रा से बड़े या मूल्य से अधिक के हैं तो ऐसी औषधियों के व्ययन हेतु जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा पहले अपनी सिफारिशें महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जाएंगी एवं महानिदेशक पुलिस, राजस्थान से आदेश जारी होने के पश्चात् ही उच्चस्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा व्ययन की कार्यवाही की जाएगी ।

(ii) जब्तशुदा स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर राक्षम अधिकारी, मजिस्ट्रेट के समक्ष अधिनियम की धारा 52 ए (2) में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थ तथा वाहनों के व्ययन के लिए आवेदन करेंगे ।

(iii) जब्तशुदा मादक पदार्थों का निस्तारण धारा 497 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसे साक्ष्यों को रिकॉर्ड करते हुए, जैसा आवश्यक समझा जाए, किया जाए।

(iv) जब्तशुदा मादक पदार्थ के सैम्पल को रासायनिक परीक्षक के पास भेजे जाने के उपरांत इसे उचित रूप से रखा जाए।

(v) इनकी पहचान न्यायाधीश द्वारा रिकॉर्ड किए गए साक्ष्यों के आधार पर की सकती है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में जब्तशुदा पदार्थों के नमूने जांच हेतु प्राप्त होने पर, ऐसे नमूनों की जांच 30 दिवस के भीतर करेगी।

(vii) राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित सक्षम पुलिस अधिकारी, अधिनियम की धारा 52 ए (2) में संबंधित मजिस्ट्रेट को तुरन्त प्रार्थना पत्र पेश करेंगे एवं मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

(viii) स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ, नियंत्रित पदार्थों अथवा वाहनों के संबंध में पुलिस मुख्यालय निस्तारण की मासिक समीक्षा कर, हर माह गृह विभाग को अवगत कराएंगे।

(D) जब्त वाहनों का निस्तारण— जब्त वाहनों का निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाएगा:—

(क) थानों में जब्तशुदा चोरी हुए व अदावाकृत (UNCLAIMED) वाहन—

(1) थानों में पड़े जब्तशुदा, अदावाकृत (UNCLAIMED) व बरामद वाहनों की अलग-अलग सूचियां तैयार करें।

(2) स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो द्वारा दिए गए निर्देशानुसार थानों में चोरी/जब्त/लावारिस वाहनों को वाहन समन्वय सॉफ्टवेयर में अपलोड करें।

(3) इस संबंध में सभी थानाधिकारियों को पालना हेतु निर्देशित करते हुए कार्य प्रणाली शाखा प्रभारी की सहायता से जिले के थानों पर रिकॉर्ड पर दर्शित वाहनों को अपने-अपने जिले तथा अन्य जिलों से चोरी गए वाहनों से मोटर व्हीकल कॉर्डिनेशन सिस्टम व जिपनेट के माध्यम से मिलान करवाएं।

(4) जिले के उक्त मिलान हुए वाहनों की संबंधित मुकदमों में जब्ती/बरामदगी के लिए थानाधिकारी को निर्देश करते हुए अन्य जिलों से वाहनों की उनके मुकदमों की जब्ती/बरामदगी हेतु सूचित करें।

(ख) 106, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 38 पुलिस एक्ट एवं 207 एमवी एक्ट में जब्तशुदा वाहन:—

(1) अगर थाने में वाहन संबंधित कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो उक्त वाहन को 106 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जब्त किया जाए। यदि पत्रावली उपलब्ध नहीं है तो पत्रावली संधारित कराएं।

वाहन के इंजन नंबर व चेसिस नंबर के आधार पर निर्माता कम्पनी से उसके वितरण संभाग व थोक तथा रिटेल आउटलेट का पता किया जाकर मिलिकयत तय की जा सकती है।

(2) धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में उद्घोषणा की तारीख से किसी भी दावेदार द्वारा ऐसे वाहन के लिए दावा पेश किए जाने के लिए छः माह का समय दिया जाएगा।

(3) छः माह की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा दावा पेश नहीं करने या जिसके कब्जे से ऐसा वाहन पाया गया है, वह ऐसा दर्शाने में असमर्थ रहता है कि उसके द्वारा वाहन का वैध रूप से अर्जन किया गया है तो धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 दण्ड प्रक्रिया संहिता

के तहत न्यायालय आदेश दे सकेगा कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार को व्यापारी होगी तथा विक्रय की जा सकेगी।

(4) न्यायालय द्वारा इस बात से संतुष्ट होने पर कि पुलिस जांच में किए गए प्रयास संतोषजनक हैं तथा अब वाहन स्वामी का पता जांच से नहीं लग सकता या वाहन को कोई दावेदार नहीं है तो न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत वाहन को अदावाकृत (UNCLAIMED) घोषित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कराए।

(5) राजस्थान पुलिस नियम, 2008 के नियम 8 के उपनियम 3 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा अदावाकृत सम्पत्तियों की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस द्वारा उद्घोषणा जारी की जाएगी जिसमें ऐसी सम्पत्ति का ब्योरा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और यह अपेक्षा की जाएगी कि कोई भी व्यक्ति जो उस सम्पत्ति के प्रति दावा रखता है, उसके या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपना दावा सिद्ध करेगा।

(6) पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस द्वारा ऐसी उद्घोषणा समस्त पुलिस थानों में प्रमुख स्थानों पर, पुलिस विभाग की वेबसाइट पर और यदि सम्पत्ति का मूल्य 50,000/- रुपए से अधिक है तो स्थानीय समाचार पत्र में देनी होगी।

(7) उप नियम 4 के अनुसार दिए हुए समय में किसी भी दावेदार द्वारा अपने स्वत्व का समाधान करने पर पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस सम्पत्ति के परिदान का आदेश कर सकेगा।

(8) उप नियम 5 के अनुसार पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस द्वारा सम्पत्ति परिदान करते समय स्वविवेकानुसार उस व्यक्ति से जिसको सम्पत्ति परिदान की जा रही है ऐसी प्रतिभूति जो वह उचित समझता है, ले सकेगा।

(9) उपनियम 9 के अनुसार यदि उद्घोषणा में दी गयी अवधि में कोई भी व्यक्ति अपना दावा सिद्ध नहीं करता है तो सम्पत्ति को पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस द्वारा नीलामी में बेची जाकर सरकारी खाते में जमा करवाई जाएगी।

(10) जांच से यदि वाहन चोरी का पाया जाता है, तो जिसके कब्जे से जब्त किया गया है, उसके विरुद्ध धारा 303(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

(ग) बीमा कम्पनियों से संबंधित वाहन-

(i) जैसे ही बरामद वाहन की सूचना प्राप्त होती है, बीमाकर्ता को क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष वाहन के रिलीज हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दायर करने की अनुमति दी जाएगी। साधारणतः प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि के अंदर वाहन को रिलीज किया जाएगा। वाहन को रिलीज करने से पूर्व आवश्यक फोटोग्राफ तथा पंचनामा विधिवत सत्यापित कर रखे जाएंगे।

(ii) इस प्रकार लिए गए फोटोग्राफ तथा पंचनामा को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में काम में लिया जाएगा जिससे वाहन की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) बीमाकर्ता द्वारा गारण्टी/अण्डरटेकिंग दी जाएगी कि यदि मजिस्ट्रेट द्वारा बीमाकर्ता के अतिरिक्त अन्य को वाहन स्वामी निर्णीत किया जाता है तो नीलामी विक्रय से प्राप्त धन का भुगतान वाहन स्वामी को किया जाएगा।

(vi) जबकि वाहनों के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा सिक्कोरिटी बॉण्ड या गारंटी ली जाकर वाहन को रिलीज करने के संबंध में तत्काल आदेश पारित किया जा सकेगा। इस प्रकार के आदेश वाहन वापसी के लिए दिए गए प्रार्थना-पत्र की सुनवाई के दौरान पारित किए जा सकते हैं। बीमाकर्ता के कॉरपोरेट ढांचे के मद्देनजर व्यक्तिगत बॉण्ड की वाध्यता को समाप्त किया जा सकेगा।

(v) मोटर वाहन एक्ट की धारा 158 (6) एवं एम. वी. रूल्स के नियम 159 के प्रावधानों की पालना आवश्यक रूप से की जाएगी। इन प्रावधानों की पालना में थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी प्रत्येक एक्सीडेंट प्रकरण में रिपोर्ट AIR (Accident Information Report) बीमाकर्ता (इंश्योरेंस कम्पनी) एवं क्लेम ट्रिब्यूनल को भेजेगा एवं DAR (Detailed Accident Report) फार्म VIII] IX] X व नतीजा (173 सीआरपीसी के तहत) के साथ 90 दिन में ट्रिब्यूनल को भेजेगा। FAR (First Acci & dent Report) फार्म 1 में भरकर इंश्योरेंस कम्पनी को भेजेगा। अनुसंधान अधिकारी द्वारा IAR (Interim Accident Report) 50 दिन में फार्म V में क्लेम ट्रिब्यूनल को भेजी जाएगी।

(vi) यदि वाहन बीमित है तो कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को कब्जा लेने हेतु सूचित करेगी। यदि कंपनी वाहन नहीं लेती है तो कोर्ट वाहन का विक्रय कर सकेगी।

(vii) वाहनों का पंचनामा व फोटोग्राफ्स रखे जाएंगे।

(viii) आपराधिक प्रकरण में जब्त/बरामद वाहन के संबंध में चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने के जब्त/बरामद बाद बीमा कम्पनियों से संबंधित वाहनों का न्यायालय से निस्तारण बाबत प्रयास करें।

(घ) एनडीपीएस एक्ट में अभिग्रहीत पदार्थों के साथ जब्त वाहन-एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरणों में जब्तशुदा वाहनों का निस्तारण निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जाएगा—

चरण-01 : धारा 53 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थों के साथ जब्तशुदा वाहनों की सूची तैयार की जाएगी।

चरण-02 : वाहनों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर इनवेंटरी (सूची) रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

चरण-03 : धारा 52 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रकरण में जब्तशुदा वाहन की इन्वेन्टरी (सूची) के प्रमाणीकरण हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा उस आवेदन को अनुज्ञात (Allow) किया जाएगा।

चरण-04 : धारा 52 ए की उप-धारा (3) के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन के अनुज्ञात करने के पश्चात् थानाधिकारी सत्यापित सूची, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिए गए फोटोग्राफ और नमूनों को मामले के प्राथमिक साक्ष्य के लिए संभाल कर रखेगा।

चरण-05 : थानाधिकारी द्वारा औषधि व्ययन समिति अध्यक्ष को व्ययन के संबंध में समिति द्वारा विनिश्चय करने के लिए प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के सन्दर्भ में सम्पूर्ण विवरण भेजा जाएगा तथा एक प्रति मालखाना प्रभारी को भी भेजी जाएगी।

चरण-06 : संबंधित औषधि व्ययन समिति के सदस्य परीक्षण एवं सत्यापन के पश्चात् इस आशय का आवश्यक प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित करेंगे और समिति तत्पश्चात् जब्त किए जाने की रिपोर्ट, रासायनिक विश्लेषण की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के संदर्भ में जब्त की गई प्रत्येक मद का भार और अन्य वास्तविक परीक्षा और सत्यापन करेगी और प्रत्येक मामले में अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगी।

चरण-07 : प्रकरण में जब्तशुदा 20 लाख रुपए तक के मूल्य के वाहन के व्ययन हेतु औषधि व्ययन समिति (D.D.C.) के अध्यक्ष वाहनों की नीलामी से पूर्व उनके आरक्षित मूल्य के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन करेंगे। उक्त कमेटी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक लेखा अधिकारी तथा एम.टी. ओ. शामिल होंगे तथा संभव हो तो डी.टी.ओ. के प्रतिनिधि को भी उक्त कमेटी में शामिल किया जाएगा।

चरण-08 : जब्त किए गए वाहनों को औषधि व्ययन समिति द्वारा निर्धारित किए अनुसार नीलामी के माध्यम से विक्रय की कार्यवाही की जाएगी।

चरण-09 रु वाहनों की नीलामी की कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी एवं वाहनों की उपरोक्त प्रक्रियानुसार बेचान की रिपोर्ट तैयार कर औषधि व्ययन समिति (D.D.C.) को प्रेषित की जाएगी।

चरण-10 रु प्रकरण में वाहन बेचानघ्नष्ट किए जाने का प्रमाण-पत्र 03 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। इन प्रतियों पर औषधि व्ययन समिति के अध्यक्षसदस्य के हस्ताक्षर होंगे तथा मूल प्रति मालखाना रजिस्टर, न्यायालय को मूल पत्रावली व औषधि व्ययन समिति के पास रिकॉर्ड में रहेगी। चरण-11 रु वाहनों के निपटान का विवरण मासिक मास्टर रिपोर्ट में एन.सी.वी. नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

(ड) आवकारी अधिनियम के अंतर्गत अधिहरित (कॉन्फिसकेट) वाहन-

1 अधिहरित किए गए वाहनों का निस्तारण खुली नीलामी द्वारा किया जाएगा।

2 अधिहरित किए गए वाहनों की नीलामी धारा 69 (5) में प्रावधित अपील की समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् यथा शीघ्र की जाएगी।

3 अधिहरित वाहनों की नीलामी के लिए कमेटी के गठन एवं नीलामी कार्यवाही के अनुमोदन बाबत निम्न व्यवस्था की जाती है:-

(अ) साइकिल, मोटर साइकिल, स्कूटर, पशु गाड़ी व अन्य दो पहिया वाहनों के लिए: -

(1) जिला आवकारी अधिकारी

-अध्यक्ष

(2) संबंधित कोषाधिकारी का प्रतिनिधित्व

-सदस्य

(3) मुख्यालय पर पदस्थापित सहायक आवकारी अधिकारी/आवकारी निरीक्षक - सदस्य

(4) जिला कार्यालय का लेखाकार/क० लेखाकार

- सदस्य

इस प्रकार के मामलों में नीलामी कार्यवाही के पृथक से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(ब) जीप कार आदि के लिए

(1) जिला आवकारी अधिकारी

-अध्यक्ष

(2) जिला परिवहन अधिकारी अथवा उसका प्रतिनिधि

-सदस्य

(3) कोषाधिकारी का प्रतिनिधि

- सदस्य

(4) संबंधित जोन का सहायक लेखाधिकारी जो मुख्यालय में पदस्थापित है। - सदस्य

ऐसे मामलों में की गई नीलामी कार्यवाही का अनुमोदन संबंधित अतिरिक्त आवकारी आयुक्त से प्राप्त करना होगा।

(स) ट्रक/बस/मिनी ट्रक आदि वाहन :-

(1) संबंधित अतिरिक्त आयुक्त, आवकारी

-अध्यक्ष

(2) संबंधित जिला आवकारी अधिकारी

- सदस्य

(3) संबंधित जिला परिवहन अधिकारी

- सदस्य

(4) वित्तीय सलाहकार द्वारा मनोनीत वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी

- सदस्य

इस प्रकार के मामलों में नीलामी कार्यवाही का अनुमोदन मुख्यालय से प्राप्त करना होगा।

1. नीलामी कार्यवाही से प्राप्त होने वाली राशि तथा नीलामी की कार्यवाही पर होने वाले व्यय का पृथक् एवं स्पष्ट लेखा रखा जाएगा ताकि संबंधित अभियोग के अंतिम निर्णय के समय न्यायालय द्वारा धारा 69 (3) के संबंध में आदेश पारित करते समय राशि के बारे में किसी प्रकार संशय नहीं रहे।
2. जब्त वाहनों के निस्तारण के संबंध में प्रत्येक पुलिस स्टेशन की कार्रवाई को जिले के संबंधित संभाग/आयुक्तालय के महानिरीक्षक/आयुक्त द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(E) आबकारी अधिनियम के तहत जब्त माल का निस्तारण—

- (i) जब्तशुदा शराब का पंचनामा तैयार करने के पश्चात् इसका त्वरित निस्तारण किया जाए।
- (ii) जब्तशुदा शराब के सैम्पल को रासायनिक परीक्षक के पास भेजे जाने के उपरांत इसे उचित रूप से रखा जाए।
- (iii) थाने में किसी भी सूरत में अधिक मात्रा में शराब को नहीं रखा जाए क्योंकि इस प्रकार के भण्डारण से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।
- (iv) न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय के पश्चात् संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक से सम्पर्क कर न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करेंगे एवं सहायक लोक अभियोजक की राय प्राप्त कर स्वयं की टिप्पणी सहित प्रकरण अपीलधरिवीजन अवधि समाप्ति से कम से कम 15 दिन पूर्व विधिक जाँच हेतु मुख्यालय भेजेंगे। प्रकरण में अपीलधरिवीजन किए जाने की स्थिति में निर्णय तक जब्तशुदा माल को सुरक्षित रखेंगे। अपील नहीं की जाने की स्थिति में अपील की समयावधि गुजरने के पश्चात् राजसात किए गए माल के निस्तारण के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जाएगी :-
 - (a) जो माल शीघ्र खराब होने वाला है, यथाय बीयर, देशी मदिरा के लिए प्रकरण में न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए अंतरिम निस्तारण के लिए सहायक लोक अभियोजक के माध्यम से प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे तथा न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जाएगी।
 - (b) राजसात किए गए माल के मानवोपयोगी होने बावत रासायनिक परीक्षण करवाया जाएगा एवं मानवोपयोगी नहीं होने की स्थिति में इसे नष्ट कर निस्तारण करवाया जाएगा।
 - (c) नष्ट किए जाने वाले माल की मात्रा 1000 बल्क लीटर तक होने पर सहायक आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट करवाया जाएगा तथा 1000 बल्क लीटर से अधिक होने की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट करवाया जाएगा। माल की मात्रा 10000 बल्क लीटर से अधिक होने की स्थिति में जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त की उपस्थिति में नष्ट करवाया जाएगा।
 - (v) विभिन्न अभियोगों में अधिगृहित मदिरा, घास एवं नारकोटिक्स पदार्थों आदि के निस्तारण हेतु न्यायालय में चल रहे प्रकरण में निर्णय से शेष रहे प्रकरणों में भी संबंधित जिला आबकारी अधिकारी व सहायक लोक अभियोजक से सम्पर्क कर न्यायालय से निस्तारण हेतु स्वीकृति प्राप्त करेंगे एवं जब्तशुदा मालखाने के निस्तारण करने के संबंध में निम्न प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे:-
 - (a) जो माल शीघ्र खराब होने वाला है यथा बीयर, देशी मदिरा के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए अंतरिम निस्तारण के लिए संबंधित लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाए ताकि उक्त जब्त माल का निस्तारण किया जा सके।
 - (b) भारत निर्मित विदेशी मदिरा के संबंध में भी शीघ्र निस्तारण के न्यायालय से आदेश प्राप्त किए जाए।

(F) शस्त्र अधिनियम के तहत जब्त माल का निस्तारण—

जिलों में जब्त आग्नेयास्त्रों का वर्गीकरण कर लिया जाए तथा निस्तारण के संबंध में न्यायालय आदेश प्राप्त कर लिए जाएं जिनके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है :- (क) प्रतिबंधित बोर के आग्नेयास्त्र जिनके निस्तारण के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिए गए हैं—

1. ऐसे आग्नेयास्त्र संबंधित पुलिस थाने के मालखाना में ही रहेंगे।
2. इन आग्नेयास्त्रों के निस्तारण के संबंध में तत्काल संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर निस्तारण आदेश प्राप्त करें।
3. इनकी सूची जिला स्तर पर तैयार करें व मासिक रूप से अद्यतन करें।

(ख) प्रतिबंधित बोर के आग्नेयास्त्र जिनके निस्तारण के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं—

1. ऐसे आग्नेयास्त्र पुलिस थाने के मालखाना में नहीं रहेंगे। यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को आग्नेयास्त्र सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं व प्रकरण में अपील की अवधि समाप्त हो चुकी है तो वह आग्नेयास्त्र न्यायालय के आदेशानुसार उस व्यक्ति/संस्था को सुपुर्द किया जाए।
2. यदि ऐसे आग्नेयास्त्र को न्यायालय द्वारा सरकारी सम्पत्ति घोषित किया गया है अथवा राज्य सरकार को उचित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं तो उसे जिला पुलिस लाइन में जमा कराया जाएगा।
3. पुलिस लाइन में जमा करने के पश्चात् जिला स्तर पर गठित बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा आग्नेयास्त्र का निरीक्षण कर यह तय किया जाए कि आग्नेयास्त्र Serviceable है अथवा Unserviceable/ Beyond Economical Repair है।
4. जो आग्नेयास्त्र Unserviceable/Beyond Economical Repair हैं, उनकी पृथक से सूची बनाई जाए। ऐसे आग्नेयास्त्रों का निस्तारण पार्ट-2 में वर्णित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।
5. जो हथियार Serviceable है, उनकी पृथक सूची बनाई जाए। इनको बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की अनुशंसा के अनुसार पुलिस के उपयोग में लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एस.ओ.पी. के भाग-06 के अनुसार की जाएगी।

(ग) अप्रतिबंधित बोर के आग्नेयास्त्र जिनके निस्तारण के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिए गए हैं—

1. ऐसे आग्नेयास्त्र संबंधित पुलिस थाने के मालखाना में ही रहेंगे।
2. इन आग्नेयास्त्रों के निस्तारण के संबंध में तत्काल संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर कर निस्तारण आदेश प्राप्त करें।
3. इनकी सूची जिला स्तर पर तैयार करें व मासिक रूप से अद्यतन करें।

(घ) अप्रतिबंधित बोर के आग्नेयास्त्र जिनके निस्तारण के संबंध में न्यायालय द्वारा आदेश दिए जा चुके हैं।

1. ऐसे आग्नेयास्त्र पुलिस थाने के मालखाना में नहीं रहेंगे। यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति/संस्था को आग्नेयास्त्र सुपुर्द करने के आदेश दिए हैं व प्रकरण में अपील की अवधि समाप्त हो चुकी है तो वह आग्नेयास्त्र न्यायालय के आदेशानुसार उस व्यक्ति/संस्था को सुपुर्द किया जाएगा।
2. यदि ऐसे आग्नेयास्त्र को न्यायालय द्वारा सरकारी सम्पत्ति घोषित किया गया है अथवा राज्य सरकार को उचित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं तो उसे जिला पुलिस लाइन में जमा कराया जाएगा।

3. पुलिस लाइन में जमा करने के पश्चात् जिला स्तर पर गठित बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा आग्नेयास्त्र का निरीक्षण कर यह तय किया जाए कि आग्नेयास्त्र Serviceable है अथवा Unserviceable/ Beyond Economical Repair हैं। इन श्रेणियों के अनुसार सूची बनाई जाए।

4. जो आग्नेयास्त्र Unserviceable/Beyond Economical Repair हैं, उनकी पृथक से सूची बनाई जाए। ऐसे आग्नेयास्त्रों का निस्तारण एस.ओ.पी. के पार्ट-3, 4 व 6 में वर्णित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

5. जो हथियार Serviceable है, उनकी पृथक सूची बनाई जाकर, पुलिस मुख्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। ऐसे आग्नेयास्त्र राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों/संस्थाओं को आवंटित किए जा सकते हैं अथवा उचित दर तय कर विक्रय किए जा सकते हैं।

6. समस्त देशी आग्नेयास्त्र अर्थात् Country & made Weapons जो निर्माण के लिए अनुज्ञाधारी निर्माता कंपनी द्वारा निर्मित नहीं हैं, को Unserviceable श्रेणी में डाला जाकर तदनुसार निस्तारण किया जाए।

7. प्रतिबंधित बोर के देशी हथियार भी नष्ट ही किए जाएंगे।

(G) पुलिस थानों में मालखाना प्रभारी की स्थाई नियुक्ति एवं पुलिस थाने पर मालखानों का सुव्यवस्थित प्रबंधन—

(i) जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त पुलिस द्वारा थानों में पूर्णकालिक मालखाना प्रभारी (हैड कॉन्स्टेबल) की स्थाई नियुक्ति की जाए तथा इनके पदस्थापन के स्पष्ट आदेश जारी किए जाएं।

(ii) मालखाना प्रभारी को विशेष परिस्थितियों में ही कानून व्यवस्था संबंधी ड्यूटी में लगाया जाए, साधारण परिस्थितियों में अन्वेषण व कानून व्यवस्था में नहीं लगाया जाए।

(iii) मालखाना प्रभारी का स्थानान्तरण/संवनिवृत्ति/अन्य कारणों से अनुपस्थित होने पर पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त की जिम्मेदारी होगी कि वह अविलंब अन्य हैड कॉन्स्टेबल को स्थाई चार्ज दिए जाने के आदेश जारी करेंगे।

(iv) मालखाना रिकॉर्ड में मालखाना रजिस्टर, सीजर मीमो की प्रति, माल को एफएसएल भेजने का पत्र, प्राप्त रसीद, परीक्षण सैम्पलों को आर्म्स, फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो आदि को भेजे जाने वाले पत्रों की पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जाएं व रजिस्टर में नियमित इन्द्राज किया जाए।

(v) थाना स्तर पर कम्प्यूटर में मालखाना रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

(vi) अन्वेषणाधीन प्रकरणों, जैर ट्रायल प्रकरणों, 102 द०प्र०स०, 38 पुलिस एक्ट, 207 एमवी एक्ट के आइटमों को पृथक-पृथक संधारित किया जाए।

(vii) इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स, मोबाइल, लेपटॉप, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, कैमरा इत्यादि को सही ढंग से सील्ड कर पूर्णतया सुरक्षित तरीके से रखा जाए।

(viii) ज्वैलरी, कैश इत्यादि को अविलंब कोर्ट से आदेश लेकर निस्तारित किए जाए अन्यथा बैंक लॉकर में सुरक्षित रखा जाए।

(x) जिन प्रकरणों में एफएसएल से परीक्षण की आवश्यकता हो, उन आर्टिकल्स/सैम्पल को बिना किसी विलंब के एफएसएल भिजवाया जाए।

(xi) मालखाना रजिस्टर में मालों की आमद स्वामिनी के समस्त इन्द्राज समय पर हों तथा माल के समस्त इन्द्राज पर अनुसंधान अधिकारी व मालखाना प्रभारी के काउण्टर इस्ताक्षर हों।

(xii) थानाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक 15 दिवस में मालखाना का निरीक्षण करेगा तथा मालखाना रजिस्टर को सत्यापित कर मालखाना निस्तारण हेतु समुचित प्रयास करेगा। उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट थानाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को मासिक डी.ओ. के साथ भेजी जाएगी।

(xiii) पुलिस उप अधीक्षक वृत्त प्रत्येक 03 माह में मालखानों का सत्यापन कर रजिस्टर में टिप्पणी अंकित करेंगे व रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भेजेंगे।

सामान्य प्रक्रिया:-

मालखाना का निस्तारण

1. आवेदन करना:-

- आपराधिक प्रकरणों में जब्तशुदा माल के सम्बन्ध में अन्वेषण या विचारण के दौरान थाना प्रभारी सम्बन्धित न्यायालय में यथाशीघ्र मालखाना के निस्तारण वावत आवेदन करेगा एवं न्यायालय के आदेशानुसार मालखाना का निस्तारण करेगा।
- सम्बन्धित कोर्ट एलसी प्रत्येक आपराधिक प्रकरण के मालखाना के निस्तारण के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में की जा रही कार्यवाही सम्बन्धी रिकार्ड का सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी के पर्यवेक्षण में संधारण करेगा।

2. पंचनामा तैयार करना:-

- अन्वेषण, विचारण के दौरान या अपील मियाद पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा जब्तशुदा सम्पत्ति को हकदार व्यक्ति के पक्ष में छोड़ने का आदेश मिलने पर पुलिस अधिकारी प्रशङ्कित सम्पत्ति के सभी कोणों से रंगीन फोटोग्राफ लेगा एवं सम्पत्ति के विवरण का दस्तावेजीकरण करेगा।

- सुन्दरभाई, अम्बाभाई देसाई बनाम् गुजरात राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसरण में मुकदमों में जब्तशुदा आर्टिकल्स का पंचनामा तैयार करे व फोटोग्राफ लिया जावे, तत्पश्चात सम्बन्धित कोर्ट द्वारा आर्टिकल्स का निस्तारण किया जावे। पंचनामा एवं फोटोग्राफ की कोर्ट में ट्रायल के दौरान द्वितीय ताल्ल के रूप में उपयोग में लाया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट के द्वारा आर्टिकल्स, सोना, चांदी के आभूषण आदि के सम्बन्ध में ट्रायल कोर्ट द्वारा 451 सीआरपीसी (नया कानून धारा 497 बीएनएसएस) के तहत अतिशीघ्र निस्तारण आदेश जारी किया जाना चाहिए। यदि आर्टिकल्स चोरी, लूट, डकैती के मुकदमों के परिवादी के हैं तो पंचनामा बनाया जाकर फोटोग्राफ लिए जाए व ट्रायल कोर्ट द्वारा ट्रायल में आवश्यकता होने पर पेश करने का बॉण्ड व सिक्धारिटी ली जाकर परिवादी को सुपुर्द किया जावे। यदि ऐसे आर्टिकल्स किसी क्लेमेट (दावेदार) को सुपुर्द नहीं किये जाते हैं तो कोर्ट ऐसे आर्टिकल्स को बैंक लॉकर्स में रखे जाने के आदेश पारित करेगी। यदि ऐसे आर्टिकल्स पुलिस कस्टडी में रखे जाने की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी पंचनामा बनाकर बैंक लॉकर में रखेगा। थानाधिकारी द्वारा ऐसे आर्टिकल्स जब्ती के एक सप्ताह में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जायेंगे। कोर्ट ऐसे आर्टिकल्स को अन्वेषण एवं पहचान सम्बन्धी कार्यवाही के लिए पुनः अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द करने का आदेश दे सकेगी। करेंसी नोटों के सम्बन्ध में भी यह प्रक्रिया अपनाई जावेगी। जब्तशुदा वाहनों के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा सिक्धारिटी बॉण्ड या गारंटी ली जाकर तत्काल आदेश पारित कर सकेगी। यदि किसी वाहन के सम्बन्ध में कोई दावेदार नहीं है अथवा वाहन मालिक, अभियुक्त, इंश्योरेंस कम्पनी या तृतीय व्यक्ति द्वारा कोई दावा नहीं किया जाता है तो कोर्ट द्वारा नीलामी का आदेश दिया जा सकेगा। यदि वाहन बीमित है तो कोर्ट इंश्योरेंस कम्पनी को कब्जा लेने हेतु सूचित करेगी। यदि कम्पनी वाहन नहीं लेती है तो कोर्ट वाहन को विक्रय कर सकेगी। कोर्ट को अधिकतम 08 माह में आदेश पारित करना होगा। वाहनों का पंचनामा व फोटोग्राफ्स रखे जायें। जब्तशुदा शराब के सैम्पल को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जाकर व पंचनामा तैयार किया जाकर निस्तारण किया जावे। जब्त माल के निस्तारण की कार्यवाही मजिस्ट्रेट द्वारा अविलम्ब की जाएगी। थाने में किसी भी सूरत में 13 दिनों से 01 माह की अवधि से अधिक दिन आर्टिकल्स नहीं रखा जावे।

- पंचनामा तैयार करने के पश्चात पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उक्त पंचनामा को आवश्यक रूप से सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित करेगा।

3. निर्णय का अवलोकन-

- पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उसके थाने से सम्बन्धित किसी मामले की निर्णय प्रति प्राप्त होने के पश्चात उस निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेगा। यदि माननीय न्यायालय ने मालखाना के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी के मार्फत मालखाना के निस्तारण हेतु आवेदन करेगा।

4. अन्तिम प्रतिवेदन पेश करने के पश्चात कार्यवाही-

- पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी आपराधिक मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन पेश करने के पश्चात प्रकरण से सम्बन्धित मालखाना के निस्तारण हेतु न्यायालय में पदस्थापित सम्बन्धित अभियोजन अधिकारी के मार्फत मालखाना निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश करेगा।
- मुकदमों से सम्बन्धित जिन सम्पतियों (वाहनों को छोड़कर) का निस्तारण/व्ययन मुकदमों के फैसले के बाद ही होना है, उनके लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर आर्टिकल्स ज्यूडिशियल मालखाना में रखवाया जावे। सम्बन्धित न्यायालय को जरिये पीपी मुकदमे से सम्बन्धित जब्त मालखाना आईटमों को न्यायालय के मालखाना में रखवाने हेतु थानाधिकारी द्वारा पत्र लिखा जावे। इस हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों व उच्च न्यायालय, जोधपुर के रजिस्ट्रार जनरल के निर्देशों का हवाला पत्र में दिया जाकर निस्तारण करवाने हेतु प्रयास किया जावे। इसके लिए सम्बन्धित आईटम का नियमानुसार विस्तृत पंचनामा, फोटोग्राफ, डिजिटल फोटो, पेन ड्राइव में वीडियो क्लिप आदि रखा जाकर न्यायालय को सूचित किया जावे। यह अनुरोध भी किया जावे कि जब्त मालखाना आईटम के सम्बन्ध में साक्ष्य प्राथमिकता के आधार पर दर्ज किया जावे। किसी भी प्रकरण का न्यायालय से फैसला होने के तुरन्त पश्चात जो माल वजह सबूत जब्त किया गया है, उसके निस्तारण हेतु अपील अवधि के पश्चात निस्तारण आदेश प्राप्त किया जावे।

5. जब कोई पुलिस अधिकारी ऐसी सम्पति को जब्त करता है, जिस पर चुराई होने का सन्देह हो या उक्त सम्पति ऐसी परिस्थितियों में पाई गई है, जिसमें अपराध के किये जाने का सन्देह हो और सम्पति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो तथा ऐसी सम्पति का बाजार मूल्य 500 रुपये से कम हो एवं उसका हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश से उस सम्पति को तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा।

(दिनेश एम.एन.)

अति. महानिदेशक पुलिस,
(अपराध शाखा) राज., जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, एस.सी.आर.वी. साईबर क्राईम एवं तकनीकी सेवाएं, राज. जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, आसूचना, राज. जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज, राज. जयपुर।
5. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एसओजी एवं एटीएस, राज. जयपुर।

अति. महानिदेशक पुलिस,
(अपराध शाखा) राज., जयपुर

डिजिटल डिवाइस/प्रदर्श की जब्ती/पैकिंग के लिए महत्वपूर्ण एवं अन्य आवश्यक दिशा निर्देश
(तकनीकी विशेषज्ञ/प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक/डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ की तकनीकी सलाह से)

1. अनुसंधान अधिकारी द्वारा डिजिटल प्रदर्श की सर्चिंग के दौरान अधिक संख्या में डिजिटल प्रदर्श होने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी को उचित रूप से अनुसंधान कर प्रकरण से संबंधित डिजिटल प्रदर्श की स्कूटनी करके ऐसे डिजिटल प्रदर्श को ही जब्त किया जाना चाहिए, जिसमें प्रकरण से संबंधित साक्ष्य मौजूद हो या होने की संभावना हो।
 - प्रकरण में सर्च/सिजर के दौरान उपलब्ध कराये गए कंप्यूटर/लेपटॉप/हार्डडिस्क/पेनड्राइव/मेमोरी कार्ड आदि के इन्स्पेक्शन के दौरान डेटा अधिक होने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा इन डिजिटल प्रदर्श का क्लोन बनवाया जाना उचित रहता है ताकि क्लोन का समुचित रूप से डेटा विश्लेषण कर प्रकरण से संबंधित डेटा/फाईल्स आदि साक्ष्य के प्रमाण सर्च आदि कर प्रकरण से संबंधित उचित डिजिटल प्रदर्श की जब्ती की जा सके।
 - प्रकरण में सर्च/सिजर के दौरान अधिक संख्या में मोबाइल फोन/टेबलेट आदि के इन्स्पेक्शन के दौरान सीडीआर विश्लेषण एवं उचित तकनीकी अनुसंधान द्वारा प्रकरण में प्रयुक्त उचित मोबाइल फोन की ही जब्ती की जानी चाहिए।
अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रकरण में जब्त किए गए मोबाइल फोन में डेटा अधिक होने की स्थिति में अथवा समीक्षा के दौरान प्रकरण से संबंधित साक्ष्य नहीं मिलने की स्थिति में अथवा प्रकरण के साक्ष्य क्लाउड बेस एप्लीकेशन से संबंधित होने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मोबाइल फोन की फोरेंसिक इमेज बनायी जानी उचित रहती है ताकि जब्त मोबाइल फोन में मौजूद समस्त डेटा की फोरेंसिक इमेज बनायी जा सके तथा क्लाउड पर प्रकरण से संबंधित साक्ष्य को संबंधित मोबाइल फोन में प्रिजर्व किया जा सके।
2. कंप्यूटर/लेपटॉप/पेनड्राइव/मेमोरी कार्ड/सी.डी./डि.वी.डी./डि.वी.आर./एन.वी.आर. आदि (मोबाइल फोन/टेबलेट के अलावा) में प्रकरण के विशिष्ट साक्ष्य की जानकारी न होने की स्थिति में संबंधित हार्डडिस्क/मेमोरी डिवाइस का क्लोन बनाया जाना उचित रहता है।
3. डिजिटल एवीडेंस की हार्डडिस्क/मेमोरी डिवाइस (मोबाइल फोन/टेबलेट की इन्टरनल मेमोरी के अलावा) की राइट-ब्लॉकर का उपयोग लेते हुए हेश वेल्यु की जानकारी फर्द जब्ती में दर्ज किया जाना उचित रहता है।
4. क्लाउड/इंटरनेट आधारित प्रकरण जैसे वीओआईपी कालिंग, ऑनलाइन सट्टे बाजी, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन डाटा एंट्री, इत्यादि प्रकरणों में सर्च/सिजर के दौरान कंप्यूटर/लेपटॉप/मोबाइल फोन के चालू हालत होने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी द्वारा संबंधित डिवाइस के चालू विंडो/एप्लीकेशन तथा प्रकरण से संबंधित साक्ष्य की विडियोग्राफी ऐसे डिजिटल कैमरे में करवायी जानी उचित रहती है जिसमें रिकॉर्डिंग एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में सेव हो ताकि संबंधित साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। इसके अतिरिक्त चालू स्थिति में मिले कंप्यूटर/लेपटॉप के शटडाउन होने से पूर्व कंप्यूटर/लेपटॉप के रेम का फोरेंसिक इमेज (रेम डंप) लिया जाना उचित रहता है। ताकि रेम डंप का फोरेंसिक विश्लेषण करवाया जाकर प्रकरण से संबंधित विशिष्ट साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करवाया जा सके।

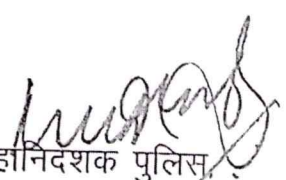
सदभावी,

(दिनेश एम.एन.)

अति. महानिदेशक पुलिस,
(अपराध शाखा)राजस्थान।

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, एस.सी.आर.बी. राजस्थान।
3. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, इन्टेलिजेन्स, राजस्थान।
4. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज, राजस्थान जयपुर।
5. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ए.टी.एस./एस.ओ.जी. राजस्थान जयपुर।


अति. महानिदेशक पुलिस
(अपराध शाखा) राज., जयपुर

का कन्टेन्ट/विवरण के संबंध में अनुसंधान के दौरान जानकारी प्राप्त कर फर्द जब्ती में अंकन किया जाना उचित रहता है। यदि आवश्यक हो तो प्रकरण संबंधित इन साक्ष्यों की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी ऐसे डिजिटल कैमरे में करवायी जानी उचित रहती है जिसमें रिकॉर्डिंग एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में सेव हो।

(ii) मोबाईल फोन, टेबलेट आदि के लिए

- स्मार्ट मोबाईल फोन को कब्जा लेते ही फ्लाइंट/एयर-प्लेन मोड एवं वाईफाई को डिस्एबल की स्थिति में सेट किया जाना आवश्यक है। मोबाईल फोन में फ्लाइंट मोड की सुविधा न होने कि स्थिति में मोबाईल डिवाइस से सिम को अलग किया जाना उचित होता है।
- मोबाईल फोन का सिस्टम लॉक (पासवर्ड, पासकोड, पैटर्न लॉक, आदि)/मोबाईल के प्रकरण के संबंधित एप्लीकेशन पासवर्ड/सिम के पिन/पुक का सत्यापन कर फर्द-जब्ती में उल्लेख किया जाना उचित होता है।
- मोबाईल फोन प्रदर्शों की जब्ती के समय मोबाइल का डिस्प्ले टाइम, टाइम जोन तथा वास्तविक समय नोट किया जाना चाहिए।
- मोबाईल डिवाइस की जब्ती के दौरान डिवाइस के सभी कम्पोनेंट जैसे सिम, मेमोरी कार्ड आदि का विवरण (मोबाइल का मॉडल, आई.एम.ई.आई./एम.आई.ई.डी., ऑपरेटिंग सिस्टम मय वर्जन एवं सिक्योरिटी पेच वर्जन; सिम का सर्विस प्रोवाइडर, आई.सी.सी.आई.डी.; मेमोरी कार्ड की क्षमता, ब्रांड आदि का विवरण) फर्द-जब्ती में अंकित किया जाना आवश्यक है।
- क्लाउड अथवा सोशल मीडिया ऐप अथवा मेल आदि के डेटा के लिए संबंधित का सही यूजर नेम तथा पासवर्ड फर्द जब्ती में अंकित किया जा कर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
- मोबाइल फोन, टेबलेट आदि को स्विच-ऑफ कर उचित तरीके से सील हेतु सर्वप्रथम बबल प्लास्टिक बैग में लपेट कर उसे कार्ड बोर्ड से कवर कर कपडे के बैग में पैक किया जाना आवश्यक है।
- प्रकरण में उपलब्ध करवायी गई सेकेण्डरी सॉफ्ट कॉपी (सीडी/डीवीडी/पेनड्राइव/मैमोरी डिवाइस/हार्ड कॉपी) अथवा मैमोरी डिवाइस में मौजूद साक्ष्य की हार्ड कॉपी होने की स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति को अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर मय प्रकरण विवरण अंकित कर पूर्ण सुरक्षा के साथ सिल्ड पैकेट में भिजवाया जाना चाहिए।
- मोबाईल फोन में प्रकरण से संबंधित पिक्चर/डाक्युमेंट/विडियो फाईल आदि साक्ष्य के फाईल नेम/मेटा डेटा एवं फाईल का कन्टेन्ट/विवरण के संबंध में तथा संबंधित विशिष्ट मोबाईल नम्बर/कॉन्टेक्ट नेम के संबंधित वॉट्सएप/एसएमएस चैट के साक्ष्य होने कि स्थिति में अनुसंधान के दौरान जानकारी प्राप्त कर इनका विवरण फर्द जब्ती में अंकन किया जाना उचित रहता है। यदि आवश्यक हो तो प्रकरण संबंधित इन साक्ष्यों की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी ऐसे डिजिटल कैमरे में करवायी जानी उचित रहती है जिसमें रिकॉर्डिंग एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड में सेव हो।

(iii) सी.सी.टी.वी. प्रकरण / डी.वी.आर. / एन.वी.आर. आदि के लिए

- डी.वी.आर. / एन.वी.आर. मय हार्डडिस्क के साथ पॉवर एडोप्टर आदि को भी जब्त किया जाना चाहिए।
- डी.वी.आर. / एन.वी.आर. के डाटा की दिनांक तथा समय सम्बंधित राय होने पर इन प्रादर्शों की जब्ती के समय चालू स्थिति में पाये जाने पर डी.वी.आर. का डिस्प्ले टाइम, टाइम जोन तथा वास्तविक समय फर्द-जब्ती में अंकित किया जाना चाहिए।
- डी.वी.आर. / एन.वी.आर. तथा इसकी हार्ड डिस्क का ब्राण्ड, मॉडल / प्रोडक्ट नंबर, सीरियल नंबर, फर्मवेयर नंबर तथा क्षमता की जानकारी फर्द जब्ती में दर्ज किया जाना चाहिए। हार्ड डिस्क पर आरोपी, गवाह तथा अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर करवाया जाना चाहिए।
- समान ब्रांड, मॉडल एवं क्षमता अथवा समान एल.बी.ए. वेल्यू की हार्डडिस्क अथवा उच्च क्षमता की हार्डडिस्क भी अलग से भिजवायी जानी आवश्यक है। डेटा संबंधित राय के लिए की-बोर्ड, माउस, मॉनिटर की आवश्यकता नहीं होती है।
- डी.वी.आर. / एन.वी.आर. में सिस्टम लॉक अथवा पासवर्ड आदि होने की स्थिति में सत्यापन कर फर्द-जब्ती में अंकित किया जाना चाहिए।
- डी.वी.आर. / एन.वी.आर. में संग्रहीत / डिलिटेड संबंधित विशिष्ट घटना की दिनांक / समय / विशिष्ट समयावधि तथा संबंधित विशिष्ट घटना आदि का उल्लेख अनुसंधान के दौरान जानकारी प्राप्त कर फर्द जब्ती में अंकन किया जाना चाहिए।
- डी.वी.आर. / एन.वी.आर. की हार्ड डिस्क को अन्य मेक एवं मॉडल के डी.वी.आर. में किसी भी हालत में लगा कर विडियो आदि चेक नहीं करना चाहिए।
- प्रकरण में उपलब्ध करवायी गई सेक्रेण्डरी सॉफ्ट कॉपी (सीडी / डीवीडी / पेनड्राइव / मैमोरी डिवाइस) अथवा मैमोरी डिवाइस में मौजूद साक्ष्य की हार्ड कॉपी होने की स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति को अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर मय प्रकरण विवरण अंकित कर पूर्ण सुरक्षा के साथ सिल्ड पैकेट में भिजवाया जाना चाहिए।
- डी.वी.आर. / एन.वी.आर. की हार्डडिस्क को डी.वी.आर. / एन.वी.आर. में वापस यथा स्थान पर फिक्स करके डी.वी.आर. / एन.वी.आर. को कपड़े के बैग में सीलड कर पैक किया जाना आवश्यक है।
- अपवादिक परिस्थिति में मूल डीवीआर. / एन.वी.आर. मय हार्डडिस्क जब्त नहीं किए जाने की स्थिति में प्रकरण से संबंधित विडियो को सीडी / डीवीडी / पेनड्राइव में कॉपी कर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की प्रति को अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर मय प्रकरण विवरण अंकित कर पूर्ण सुरक्षा के साथ सिल्ड पैकेट में भिजवाया जाना चाहिए।